कम्प्यूटर- परिपत्र संख्या - 1415075 दिनांक 30-09-2014

पत्रसं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)मु0-/एस0आई0बी0माड्यूल /13-14/ 2341 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0

(वि0अनु0शा0-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 06 | 03 | - 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 / कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

कृपया मुख्यालय के परिपत्र संख्या-ज्वा0कमि0(आई.टी0-आई.बी.-1/आई.बी.-2-कम्प्यूटराईजेशन/2013-14 /905 एवं कम्प्यूटर परिपत्र संख्या-1314090 दिनांक 04-12-2013 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को ऑन लाइन किये जाने के सम्बन्ध में विकसित किये गये माड्यूल से अवगत कराते हुए आई.बी.-1 / आई.बी.-2 एवं अंतिम जॉच प्रतिवेदन को दि0 16-12-2013 से ऑन लाइन प्रविष्टि सुनिश्चित किये जाने के निर्देशों से अवगत कराया गया है।

इस परिपत्र के बिन्दु सं0-7 से यह निर्देश दिये गये है कि वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा आवश्यक जॉचोपरान्त अन्तिम प्रतिवेदन तैयार कर वि0अनु0शा0 माड्यूल द्वारा जनरेट किये गये Unique नम्बर प्राप्त कर इस प्रतिवेदन की पीडीएफ फाईल को एस0आई0बी0 माड्यूल में अपलोड किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी अपने लॉग इन पर प्राप्त कर सकेगें।

मुख्यालय स्तर से आई0बी0-2 के अपलोड किये जाने की समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया कि आई0बी0-2 समय से अपलोड नही किये जा रहे है। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते है कि प्रत्येक दशा में Unique नम्बर जनरेटेड आई0बी0-2 फार्म 48 घन्टे के अन्दर डाऊन लोड हो जायें।

2- दि0 16-12-2013 से लागू की गयी ऑन लाईन व्यवस्था के अन्तर्गत वि0अनु0शा0 इकाइयों द्वारा की गयी जॉच से सम्बन्धित अधिकांशअन्तिम प्रतिवेदन निर्धारित 90 दिन की समयावाधि के दृष्टिगत दिनांक 15-03-2014 तक कर निर्धारण अधिकारियों को प्रेषित किये जाने योग्य हो जायेगें। इस सम्बन्ध में यह निर्देश दिये जाते है कि वि0अनु0शा0 इकाईयों द्वारा की गयी जॉच के फलस्वरुप 90 दिन की निर्धारित समयावधि के अर्न्तगत जो भी अन्तिम प्रतिवेदन करनिर्धारण अधिकारियों को प्रेषित किये जाने है वह प्रत्येक दशा में Unique नम्बर जनरेट करते हुये ऑन लाइन प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। ऑन लाइन प्रेषित किये जाने वाले अन्तिम प्रतिवेदन की प्रति संलग्नको सहित मैनुअल रुप से भी सम्बन्धित करनिर्धारण अधिकारी को प्रेषित की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऑन लाइन प्रेषित प्रतिवेदन एवं मैनुअली प्रेषित किये गये प्रतिवेदन में एकरुपता रहे।

जिन प्रकरणो में दिनांक 15-03-2014 तक निर्धारित मूल समयावधि 90 दिन तक अन्तिम प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किये गये है तथा जिनमें जॉच हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी है ऐसे मामलों में सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) द्वारा बढ़ाई गयी समयावधि सम्बन्धी आदेश की प्रति मुख्यालय भी प्रेषित की जायेगी। यही प्रक्रिया अग्रेतर भी लागू रहेगी।

उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5.3.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।